मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 2678/मा॰अनु॰/जोन-13 दिनांक : 26-7-2019

सेवा में,

श्री मुकेश सिंह
पुत्र श्री राम गोपाल सिंह,
निवासी–137, शीलकुंज, रूडकी रोड,
मेरठ।

विषयः–मानचित्र संख्याः MAP20190319140930423 में औपचारिकताऐं पूर्ण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके द्वारा ऑन लाईन, हाई रिस्क श्रेणी में 'व्यवसायिक' प्रयोजनार्थ हेतु मानचित्र संख्या–MAP20190319140930423 प्रस्तुत किया गया था। जिस पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 20.07.2019 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। जिस पर प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण शुल्क रू0–96,241.25, अम्बार शुल्क रू0–1,53,986.00, लेबर सेस रू0–4,23,461.50 कुल वांछित शुल्क रू0–6,73,688.75 आरोपित किये गये है। मानचित्र स्वीकृति हेतु निम्न औपचारिकताऐं पूर्ण करनी होगी :–

1. सम्पत्ति अनुभाग की देयता रू0–3,64,18,751.00 एवं अद्यतन किस्त प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी।
2. रेनवाटर हार्वेस्टिंग के मद में रू0–1.00 लाख की एफ.डी.आर. प्राधिकरण के पक्ष में बंधक रखनी होगी।
3. भविष्य में यदि प्राधिकरण द्वारा किसी प्रकार के शुल्क की मांग की जाती है तो आवेदक को मान्य होगा। इस आशय का शपथ पत्र देना होगा।
4. भवन निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त भवन उपयोग से पूर्व पूर्णता प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा। इस आशय का शपथ पत्र देना होगा।
5. शासनादेशों के क्रम में नियमानुसार प्रस्तावित स्थल में वृक्षारोपण करने होगे। इस आशय का शपथ पत्र देना होगा।
6. मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद संख्या–21/2014 वर्धमान कौशिक एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित मा0 एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 10.11.2016 का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। इस आशय का शपथ पत्र आवेदक द्वारा प्रस्तुत करना होगा।
7. मानचित्र निर्गत से पूर्व स्टैकर पार्किंग का डिजाईन प्रस्तुत करना होगा।
8. मानचित्र निर्गत से पूर्व अग्नि शमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करके प्रस्तुत करना होगा।
9. मानचित्र निर्गत से पूर्व प्रदूषण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करके प्रस्तुत करना होगा।

अतः उपरोक्त आख्या के क्रम में मानचित्र सं0–MAP20190103115517430 की औपचारिकताऐं पूर्ण करने एवं वांछित धनराशि प्राधिकरण कोष में पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें।

Gkaushik
26/07/19
प्रभारी मानचित्र
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।